ग्राम पंचायत थोड़ा, विकास खंड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्परूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्याः पीसीएच–एचसी(5)–सी(15)एलएडी/2006–12669 दिनांक 7–4–16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्तिगत ग्राम पंचायत थोड़ा विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे ।

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चंद	1–4–14 से 22–1–16
2	श्री मति कृष्णा देवी	23–1–16 से 31–3–17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री समीर सहोत्रा	01-04-2014 से 19-09-2016
2	श्री मति कविता रानी	20-09-16 से 31-03-17

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत थोड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर	0.10
2	6	नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखव न करना	––
3	9	अनुदान राशि का अवरोधन	7.80
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.29

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत थोड़ा विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिहं अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30–10–17 से 02–11–17 तक ग्राम पंचायत थोड़ा के कार्यालय में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 09/2015 ,02/2017 व 12/2014, 05/2015, 03/2017 का चयन किया गया । जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नही होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत थोड़ा विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला–09 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या– 58 दिनांक 02-11-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत थोड़ा से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत थोड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

स्वः–स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत थोड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व–स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है ।

स्वः–स्त्रोतः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	106406	40171	146577	39893	106684
2015–16	106684	18635	125319	18306	107013
2016–17	107013	99717	206730	28795	177935

अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	50065	4602236	4652301	4617600	34701
2015–16	34701	6261971	6296672	5911872	384800
2016–17	384800	5840957	6225757	5445646	780111
				कुल योग	**₹958046**

दिनाक 31.03.2017 को बैंक मै जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक	अनुदान	राशि
1	20032006405	के.सी.सी.जसूर	मनरेगा	nil
2	50051513920	के.सी.सी.जसूर	I.A.Y	nil
3	50051513748	के.सी.सी.जसूर	3rd state	1388
4	50051514061	के.सी.सी.जसूर	T.S.C	4518

5	50051513646	के.सी.सी.जसूर	N.R.H.M	438
6	50051513884	के.सी.सी.जसूर	S.D.P	997
7	20032005526	के.सी.सी.जसूर	सामान्य/13th/14th	960763
			हस्तागत राशि	nilशून्य
			कुल योग	**968104**
			अन्तर	958046-968104 =

₹10058

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.10 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत थोड़ा द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–3–17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹10058 (968104–958046)** का अन्तर रोकड बही में कम शेष के रूप में है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करनाः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षांत में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत थोड़ा में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है । अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव किया जाए।

7 वर्गीकृत सार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत थोड़ा द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का रख रखाव करना सुनिश्चत किया जाए ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

9 अनुदान ₹7.80 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹780111 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बधित संस्था को किया जाए ।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं । चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹128890 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाऐं प्राप्त किए बिना ही किया गया है जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके । इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 स्टॉक रजिस्टर
2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3 जल प्रभार रजिस्टर
4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
7 गृह कर बसूली रजिस्टर
8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 विविध अनियमितताऐंः–

13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की जा रही है ।

13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार, आयकर, विक्रीकर, लेवर सेस तथा रायलटी की अपेक्षित कटौती नही की जा रही है।

13.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है । अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नही की गई है।

15 निष्कर्षः– लेखों के रखरखाव में हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नही की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओ के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाऐं ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2) 160/2017 खण्ड–1–2369–2372 दिनांक 04.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख)

में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत थोड़ा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881